न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

(26)

निगरानी प्रकरण कमांक 3656–पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 4–10–2016 पारित द्वारा न्यायालय राजस्व निरीक्षक वृत्त 3 विजय नगर क्षेत्र इंदौर, प्रकरण कमांक 86/अ–12/2016–17.

.....

राजेश कुमार जैन पुत्र श्री ताराचन्द्र जैन
निवासी 293 तिलकनगर इंदौर

..... आवेदक

विरूद्ध

1–मध्यप्रदेश शासन,
2–मेसर्स ऑगन निर्माण तर्फे ललितकुमार पुत्र श्री अभय कुमार
निवासी 10/1 साउथ तुकोगंज इंदौर
3–देवेन्द्र जैन पुत्र श्री राजेन्द्र जैन
निवासी 139 सुभाष मार्ग इंदौर
4–हरीश दबे पुत्र श्री ओ0पी0दुबे
निवासी 505 एकता बिहार रतन नगर मेन रोड जबलपुर
5–इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा सम्पदा अधिकारी वर्ग 2
इंदौर विकास प्राधिकरण भवन रेसीडेंसी रोड इंदौर

.....अनावेदकगण

श्री आर0एस0सेंगर, अभिभाषक– आवेदक
श्री बी0एन0त्यागी, पेनल अभिभाषक– अनावेदक कमांक 1

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 6/6/2017 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक वृत्त 3 विजय नगर क्षेत्र इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 4–10–2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक कमांक 2 द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष संहिता की धारा 129 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम खजराना स्थित भूमि सर्वे नम्बर 11/1 रकबा 0.364 हेक्टेयर भूमि का सीमांकन किया जाये । राजस्व निरीक्षक वृत्त 3

विजय नगर क्षेत्र इंदौर द्वारा प्रकरण कमांक 86/अ–12/2016–17 दर्ज कर विधिवत् संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुये दिनांक 4–10–2016 को सीमांकन आदेश पारित किया गया । राजस्व निरीक्षक के इसी सीमांकन आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध एवं अभिलेख के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है । यह भी कहा गया कि इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा योजना कमांक 53 का भूखण्ड कमांक 83 का कब्जा प्राधिकरण द्वारा दिनांक 3–12–2001 को देवेन्द्र पिता श्री राजेन्द्र जैन को लीट पर आवंटित कर कब्जा सौंपा गया है जिसका पंजीयन दिनांक 8–3–10 एवं 11–3–10 को किया गया है । अनावेदक कमांक 2 द्वारा अपने सर्वे कमांक 11/1 रकबा 0.364 हेक्टेयर का सीमांकन आवेदन प्रस्तुत किया गया जिसमें आवेदक को कोई सूचना नहीं दी जाकर एकपक्षीय सीमांकन आदेश पारित किया गया है जो कि निरस्त किये जाने योग्य है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि संहिता धारा 129 में प्रावधान है कि सीमान्त कृषकों को सीमांकन के दौरान सूचना देना आवश्यक है, जबकि आवेदक कोई सूचना नहीं दी गई है । आवेदक हितधारी व्यक्ति है इसलिये उसे सूचना देना आवश्यक है । अंत में निवेदन किया गया कि निगरानी स्वीकार की जाकर राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित सीमांकन आदेश निरस्त किया जाये ।

4/ अनावेदक कमांक 1 शासन के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसंगत होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

5/ आवेदक एवं अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। सीमांकन प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि सीमांकन में केवल इंदौर विकास प्राधिकरण को सूचना दी गई है और अन्य समीपवर्ती कृषकों को सूचना नहीं दी गई है । प्रकरण से यह भी स्पष्ट है कि सीमांकन प्रकिया अनावश्यक रूप से लम्बी खींची गई है और उसमें कई पंचनामे बनाये गये है । सीमांकन कार्यवाही दिनांक 7–7–16 को की गई है लेकिन

सीमांकन के साथ ही सीमाचिन्ह न लगाकर दिनांक 4–10–16 को पुनः सीमाचिन्ह लगाने की कार्यवाही की गई है जो सीमांकन की प्रकिया के विपरीत है । इसके अतिरिक्त टी.एस.एम. मशीन की जो फील्डबुक तैयार की गई है, उसमें जो नक्शा तैयार किया गया है, वह stand alone है, अर्थात् उसे पटवारी नक्शे पर नहीं बनाया गया है जिससे अन्य पड़ोसी मेढ़ कृषकों के खेत की स्थिति स्पष्ट नहीं होती है, फील्ड बुक में उन स्थायी सीमाचिन्ह को भी नहीं दर्शाया गया है, जिनके आधार पर प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन किया गया है । सीमांकन पंचनामे में यह नहीं दर्शाया गया है कि किसकी भूमि पर किसका कितना कब्जा है अर्थात मौके पर बिना विधिवत् जॉच पड़ताल किये सीमांकन कार्यवाही की गई है । स्पष्ट है कि सीमांकन की सम्पूर्ण पूर्णतः अवैधानिक होने से निरस्त किये जाने योग्य है और ऐसी कार्यवाही के आधार पर राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश दिनांक 4–10–16 भी निरस्त किये जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर राजस्व निरीक्षक वृत्त 3 विजय नगर क्षेत्र इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 4–10–2016 निरस्त किया जाता है । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर